नगार मतलब
तीश सरकार

बिहार सरकार

(सुशासन के कार्यक्रम:2020-25) के अंतर्गत यह घोषणा की गयी थी कि आने वाले वर्षों में
10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे। सरकार नौकरी एवं रोजगार देने के काम
में लगी हुई है और शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।" -नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार

बिहार लघु उद्यमी योजना

मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिह्नित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए ₹2लाख तक की सहायता

ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल : https://udyami.bihar.gov.in

आवेदन की अवधि : 05 फरवरी से 20 फरवरी, 2024 तक

...की प्रतीक्षा में जिलों में रहने का आदेश

...र आरओ अपने ...में ही बने रहेंगे

...को प्रोन्नति

...127 अधिकारियों ...प्रोन्नति दी गई ...अधिकारी को ...अधिकारियों को ...र दिया गया है। ...प्रोन्नति संयुक्त ...स्तर पर की गई ...सचिव स्तर का

...बाद अब विभाग ने ...को लिखित आदेश ...तत्कालीन सीओ या

राजस्व पदाधिकारियों को विरमित नहीं करें। इनकी तैनाती जिलों में ही रहेगी और वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहते हुए अपने पुराने जिला ही बने रहेंगे। विभाग के स्तर से जब इन पदाधिकारियों की अन्य कहीं तैनाती की जाएगी, तब इन्हें जिलों से विरमित किया जाएगा। यही नहीं जो पदाधिकारी जिला स्तर से विरमित होकर विभाग में योगदान कर चुके हैं। वे भी वापस अपने पूर्व पदस्थापन वाले जिला मुख्यालय में ही जाकर योगदान करेंगे और विभाग के स्तर से अगले आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। विभाग जब तक इनकी पोस्टिंग कहीं अन्य स्थान पर नहीं करती है, तब तक ये इन्हीं स्थानों पर रहेंगे।

अस्पतालों की सफाई और वस्त्र धुलाई जीविका दीदी के जिम्मे

पटना| राज्य के सभी अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई के बाद अब साफ-सफाई और वस्त्र धुलाई का काम जीविका दीदी करेंगी। इसके लिए जीविका और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच एमओयू हुआ है। इसके अनुसार सभी सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में साफ-सफाई का काम जीविका दीदियों के सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ अनुमंडलीय और जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के कपड़ों की धुलाई का काम भी जीविका दीदी करेंगी। इससे लगभग 4000 जीविका दीदियों को रोजगार मिलेगा। अप्रैल से अस्पतालों में हाउस किपिंग और वस्त्र धुलाई का काम जीविका दीदियों द्वारा शुरू किया जाएगा। इसके पहले जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अस्पताल की गाइडलाइन के अनुसार काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमओयू के अनुसार 83 अस्पतालों में साफ-सफाई का काम जीविका दीदी करेंगी। इससे जीविका दीदियों को कम से कम 8 हजार रुपए का काम मिल जाएगा।

सड़क दुर्घटना की वजह जानने को पटना समेत 5 शहरों की सड़क का ऑडिट होगा

फरीदाबाद के कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट से किया गया करार

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार में सड़क दुर्घटना में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए साइंटिफिक ऑडिट होगा। पहले चरण में 500 किमी सड़क का ऑडिट होगा। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, बिहारशरीफ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहर के अंदर की सड़कें शामिल होंगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के एडीजी यातायात सुधांशु कुमार और फरीदाबाग स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के निदेशक डॉ. रोहित बालूजा के बीच एमओयू हुआ है। बिहार देश का पहला राज्य है, जहां ट्रैफिक ऑडिट की योजना बनायी गई है। इसके तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहारशरीफ में अलग-अलग समय ट्रैफिक की स्थिति, वाहनों की संख्या, जाम की स्थिति, ट्रैफिक नियमों का पालने करने वाले लोगों की संख्या, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की वजह सहित अन्य विषयों पर सर्वे किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन 4-5 महीने के भीतर पुलिस को सौंपेगा। एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने कहा कि ऑडिट के बाद यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

सं.: जीएस-डी.एन.आर.-एस.एण्ड टी.-2024-01

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरीय मंडल संकेत एवं दूर संचार अभियंता/गति शक्ति पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर मंडल, निम्नलिखित कार्य हेतु रेलवे के वेबसाइट पर निविदाएं आमंत्रित करते हैं:- 1. कार्य का नाम एवं स्थान: पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल के अंतर्गत पटना – गया सेक्सन में एफ ओ बी, सिमित ऊंचाई सबवे एवं कुम्मन यार्ड में आर ओ बी के विभिन्न अतिचार स्थानों पर विविध एस एंड टी कार्य के प्रावधान हेतु कार्य 2. अनुमानित लागत: रु. 7211583.78 3. बयाना राशि: रू. 144200.00 4. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय: दिनांक 29.02.2024 को 15.00 बजे तक 5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय: दिनांक 29.02.2024 को 15.30 बजे 6. वेबसाइट विवरण: www.ireps.gov.in 7. कार्यालय का पता जहाँ से निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है: वरीय मंडल संकेत एवं दूर संचार अभियंता/गति शक्ति पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर। नोट: विवाद की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस मान्य होगा। यदि जरुरत हुई तो शुद्धि पत्र उपरोक्त वेब साईट पर 14 दिन पहले अपलोड कर दिया जाएगा।

वरीय मंडल संकेत एवं दूर संचार अभियंता/
गति/शक्ति/दानापुर

पीआर/02249/डीएनआर/एसएण्डटी/टी//23-24/36

पावरग्रिड POWERGRID

शेयरधारकों के लिए नोटिस

विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में हस्तांतरण।

यह सूचना, समय-समय पर यथा संशोधित, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ('नियम') के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

नियमों में अन्य मामलों के मध्य, ऐसे सभी शेयरों का जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या अधिक समय के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया हैं, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम में हस्तांतरण करने के लिए प्रावधान किया गया है।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने अब तक ऐसे सभी शेयरों को, जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 (अंतिम) अथवा इससे पहले के लगातार सात वर्षों या अधिक की अवधि के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया था, संबंधित नियत तिथियों को, आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित कर दिया है। कंपनी ने अब दिनांक 01.02.2024 के अपने पत्र द्वारा संबंधित शेयरधारकों को जिनके शेयर अप्रैल, 2024 में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने की संभावना है, उचित कार्रवाई किए जाने तथा आईईपीएफ खाते में क्रेडिट किए जाने से पहले अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में व्यक्तिशः सूचित कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 09.03.2024 को या इससे पहले अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए उक्त पत्र में यथा वर्णित अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को अग्रेषित कर दें। ऐसे शेयरधारकों की सूची, जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित किये जाने हैं, कंपनी की वेबसाइट https://www.powergrid.in/en/details-shareholders पर प्रदर्शित की गई है।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 09.03.2024 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं की अनुपालना करते हुए उक्त नियमों की अपेक्षा के अनुरूप आगे बगैर कोई सूचना के अप्रदत्त लाभांश और संबंधित शेयरों को आईईपीएफ खाते में हस्तांतरण कर देगी। कृपया ध्यान दें कि इस तरह हस्तांतरण होने पर, शेयरधारक हस्तांतरित शेयरों और लाभांश का दावा आईईपीएफ से www.iepf.gov.in पर उपलब्ध नियमों के अनुरूप कर सकते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (1) के अनुसरण में, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए अनुरोधों को तब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी के पास डीमेटीरियलाइज्ड स्वरूप में नहीं हैं। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी भौतिक धारिता को डीमेटीरियलाइज कर लें। उन शेयरधारकों को जिनके फोलियो में उनके पैन और बैंक खाते के पूर्ण विवरण नहीं हैं, अथवा पूर्व में उपलब्ध कराए गए बैंक खाता विवरणों में कोई परिवर्तन है, तो उन्हें उन विवरणों को अनिवार्य रूप से आरटीए/कंपनी के पास पंजीकरण/अद्यतन करने के लिए प्रेषित करना होगा। इस मामले में किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कंपनी को investors@powergrid.in पर लिख सकते हैं अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लि. यूनिट: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 से संपर्क करें।

कृते पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

दिनांक : 06.02.2024
स्थान : नई दिल्ली

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कॉर्पोरेट कार्यालय: सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव, हरियाणा-122001
पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
वेबसाइट: www.powergrid.in, ईमेल आईडी: investors@powergrid.in, सीआईएन: L40101DL1989GOI038121

कोर्ट नोटिस

न्यायालय में,
श्रीमान् परिवार न्यायालय,
नालन्दा बिहार शरीफ।
प्रसंग:-भरण पोषण वाद
संख्या-50/23
रश्मि कुमारी उर्फ वर्षा रानी.....आवेदिका
बनाम
संजय कुमार...........विपक्षी

संजय कुमार पिता स्व० हरेन्द्र प्रसाद, मोहल्ला- सालिमपुर अहरा दलदली रोड हजाम टोली थाना- गाँधी मैदान, जिला- पटना पिन कोड-800003

चूँ वजरिये नोटिस पेपर प्रकाशन द्वारा आपको सूचित किया जाता कि आवेदिका ने आपके विरुद्ध उक्त वाद दायर किया है जिसकी सूचना पूर्व में नजारत वो डाक के द्वारा दी जा चुकी है लेकिन आप अदालत में हाजिर नहीं हो सके इस वाद की अगली सुनवाई की तारिख-26.02.2024 को सुनिश्चित है।

आप निश्चित तारिख पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर उचित पैरवी करें अन्यथा आपके गैरहाजरी में एक पक्षीय सुनवाई करते हुए उचित आदेश पारित की जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर एवं अदालत के मुहर से निर्गत किया गया। परिवार न्यायालय, नालन्दा बिहार शरीफ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

गुलजारबाग शाखा:
बी.एन.आर. कॉम्प्लेक्स, गुलजारबाग, पटना-800008
मो. 8294634976, ईमेल: gulzar@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

[सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियमावली, 2002 के अंतर्गत नियम 8(1) के अपेंडिक्स IV के अनुसार]

सिक्यूरिटाइजेशन एवं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनान्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अधीन अधोहस्ताक्षरी **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, धारा 13(12) के साथ पठित सिक्यूरिटी इंटरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियमावली 2002 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए माँग नोटिस जारी किया गया था। जिसमें अधोलिखित ऋणी/गारेन्टर को उक्त नोटिस प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित बकाया राशि के भुगतान के लिए कहा गया था।

ऋणी/गारेन्टर/बंधककर्त्ता के उक्त भुगतान न करने के कारण, ऋणी/गारेन्टर/बंधककर्त्ता एवं सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/गारेन्टर/बंधककर्त्ता और सर्वसाधारण को यह चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित संपत्ति का क्रय-विक्रय न करें। यदि किसी प्रकार का लेन-देन इन संपत्ति पर किया जाता है तो उल्लिखित राशि और आगे ब्याज संविदात्मक दर से प्लस लागत, शुल्क एवं खर्च भुगतान की तिथि तक के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा** का प्रभार रहेगा।

उधारकर्ता सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त कराने हेतु उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए ध्यान दें।

उधारकर्ता / गारेन्टर का नाम एवं अचल सम्पत्ति का विवरण:-

उधारकर्ता/ जमानतदार का नाम/मांग सूचना की तिथि/कब्जा की तिथि/मांग सूचना में उल्लेखित राशि	सम्पत्ति का विवरण
कर्जदार: मेसर्स सिटी ऑटोमोबाईल, प्रो.-श्री अवधेश कुमार, **जमानतदार:** श्री सुरेश प्रसाद उर्फ सुरेश प्रसाद यादव, श्री सौरभ कुमार, श्रीमती गुड़िया देवी उर्फ रेणु देवी एवं श्री सुधीर कुमार **मांग सूचना की तिथि:** 29.09.2023 **कब्जा की तिथि:** 03.02.2024 **बकाया राशि:** ₹1,55,45,210.48 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख पैंतालीस हजार दो सौ दस एवं पैसे अड़तालीस मात्र) जिसमें 24.09.2023 तक ब्याज और उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय दिनांक 25.09.2023 से भुगतान की तारीख तक लागू।	**CERSAI ID: 400037870998** 1. अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जिसका वार्ड नं.-32/26, सर्किल नं.-179, थाना नं.-39, खाता नं.-58, खेसरा नं.-223, प्लॉट नं.-2768, रकवा-7 कट्ठा 10 धुर रिकाबगंज, पटना सिटी, थाना-मालसलामी, जिला-पटना रजिस्ट्रेशन ऑफिस-पटना जो श्री सुरेश प्रसाद यादव के नाम से है। चौहद्दी: उत्तर-द्वारिका चौधरी, दक्षिण-दशरथ गोप, पूरब-किशुन लाल, पश्चिम-बट्टु गोप एवं अन्य 2. अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जिसका वार्ड नं.-32/26, सर्किल नं.-179, थाना नं.-39, खाता नं.-58, खेसरा नं.-259, प्लॉट नं.-2643, रकवा-1 कट्ठा 15 धुर मौजा-रिकाबगंज, पटना सिटी, थाना-मालसलामी, जिला-पटना रजिस्ट्रेशन ऑफिस-पटना जो श्री सुरेश प्रसाद यादव के नाम से है। चौहद्दी: उत्तर- सरकारी रोड, दक्षिण-किशुन लाल, पूरब-किशुन लाल, पश्चिम-द्वारिका चौधरी।

दिनांक : 03.02.2024
स्थान : पटना

नोट: विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

...OOL EXAMINATION BOARD

...E INVITING e-TENDER
...mode only over https://eproc2.bihar.gov.in)
...Notice No.- PR 56/2024
...ation Board, Patna invites e-tenders under two ...eputed Service Providers/ Firms /Companies/ ...

BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD

NOTICE INVITING e-TENDER
(Through e-procurement mode only over https://eproc2.bihar.gov.in)
Tender Notice No.- PR 58/2024
Bihar School Examination Board, Patna invites e-tenders under two bid systems from the reputed Service Providers/ Firms /Companies / Agencies/ ...

...श्चय समेत अन्य योजनाओं से आम जनजीवन पर होने वाले बदलाव की जानकारी दी

...ज की टीम ने पटना भ्रमण को रोचक बताया

...ास, स्वच्छता, ...न्य योजनाओं के ...ारे में जानकारी ...प्रतिनिधिमंडल के ...जिले में अपने ...फी रोचक और ...। मेजर जनरल

छात्रा की अश्लील फोटो बना करने लगा ब्लैकमेल, गिरफ्तार

पटना| कदमकुआं की रहने वाली एक छात्रा ने मोबाइल बनाने के लिए स्थानीय दुकानदार राजकुमार उर्फ आरके को दिया। दुकानदार ने उस छात्रा का फोटो खुद के मोबाइल में सेव करने के बाद अश्लील बना दिया। फिर उसे छात्रा के एक परिजन को भेज दिया। यही नहीं दुकानदार ने औरों को भेजने की बात कहकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के ...

राजेंद्र पुल के समानांतर बन रहे पुल का जीएम ने किया निरीक्षण

पटना| पूर्व मध्य रेल के जीएम अनिल कुमार खंडेलवाल ने राजेंद्र पुल के समानांतर निर्माणाधीन नए रेल पुल का निरीक्षण किया और निर्माण कंपनी को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही सोनपुर मंडल के हाजीपुर-बरौनी रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान ...